The Delhi Commission for Safari Karamcharis Act, 2006

Act No. 7 of 2006

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

(TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF THE DELHI GAZETTE – EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE & LEGISLATIVE AFFAIRS)
8TH LEVEL, C-WING, DELHI SECRETARIAT, INDRAPRASTHA ESTATE, NEW DELHI

No. F.1 (1)/LA-2003/ LJ/06/ 7.697 Dated the 6 December, 2006.

NOTIFICATION

No.F.1 (1)/LA-2003/ - The following Act of the Legislative Assembly of Delhi received the assent of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi on the 25th November, 2006 and is hereby published for general information: -

"THE DELHI COMMISSION FOR SAFAI KARAMCHARIS ACT, 2006
(DELHI ACT 7 OF 2006)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 8th November, 2006).

[25th November, 2006]

An Act to provide for the establishment and functioning of a Commission for Safai Karamcharis to safeguard the rights and interests, and the redressal of the grievances of the Safai Karamcharis residing in the National Capital Territory of Delhi and for matters connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Fifty-seventh Year of the Republic of India as follows:-

DVS

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. **Short title, extent and commencement.** – (1) This Act may be called the Delhi Commission for Safai Karamcharis Act, 2006.

(2) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.

(3) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the official Gazette, appoint.

2. **Definitions.**- In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "Chairperson" means the Chairperson of the Delhi Commission for Safai Karamcharis appointed under sub-section (2) of section 3 of this Act;

(b) "Commission" means the Delhi Commission for Safai Karamcharis constituted under section 3 of this Act;

(c) "Delhi" means the National Capital Territory of Delhi;

(d) "Government" means the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi appointed by the President under article 239 and designated as such under article 239AA of the Constitution;

(e) "Lieutenant Governor" means the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi appointed by the President under article 239 of the Constitution;

(f) "member" means a member of the Commission;

(g) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(h) "Safai Karamchari" means a person engaged in, or employed for, assisting in disposal of human excreta, or any sanitation work;

(i) "National Commission" means the National Commission for Safai Karamcharis, constituted under the National Commission for Safai Karamcharis Act, 1993 (64 of 1993).

DVS

CHAPTER II

THE DELHI COMMISSION FOR SAFAI KARAMCHARIS

3. Constitution of the Commission.- (1) As soon as may be after the commencement of this Act, the Government shall, by notification in the official Gazette, constitute a body to be called the Delhi Commission for Safai Karamcharis to exercise the powers conferred on, and to perform the functions assigned to, it under this Act.

(2) The Commission shall consist of a Chairperson and two part-time members to be nominated by the Government from amongst persons of eminence, ability and integrity from Safai Karamcharis of Delhi.

4. Term of office and conditions of service of Chairperson and members- (1) The Chairperson shall hold office for a period of five years or till the age of sixty five years (whichever is less) and members will hold office for a period of five years or till the age of sixty two years (whichever is less) from the date he assumes office.

(2) The Chairperson or a member may, by writing under his hand, addressed to the Government, resign from office of Chairperson or of member, as the case may be, at any time.

(3) The Government shall remove a person from the office of Chairperson or member, if that person-

(a) becomes an un-discharged insolvent;

(b) is convicted and sentenced to imprisonment for an offence which, in the opinion of the Government, involves moral turpitude;

(c) becomes of unsound mind and stands so declared by a competent court;

(d) refuses to act or becomes incapable of acting as such;

(e) remains absent, without obtaining leave of absence from the Commission, from three consecutive meetings of the Commission; or

(f) has, in the opinion of the Government, so abused the position of Chairperson, or member, as to render that person's continuance in office detrimental to the interests of Safai Karamcharis or the public interest :

DVS

Provided that no person shall be removed under this section until that person has been given an opportunity of being heard in the matter.

(4) Any vacancy occurring in the Commission shall be filled as soon as may be by the Government for the un-expired part of the term of the out-going Chairperson or member, as the case may be.

5. Salaries, allowances, etc. of Chairperson and members.- The Chairperson shall be entitled to the status, salary, allowances and other facilities as may be decided by the Government of NCT of Delhi in accordance with rules framed for the purpose. The part-time members will be eligible only for sitting fee and not for any other facilities.

6. Secretary of the Commission.- (1) The Secretary of the Commission shall be appointed by the Government in consultation with the Chairperson and he shall not be below the rank of a Secretary to the Government.

(2) The Secretary shall be the head of the department of the Commission and shall look after the day-to-day administration and shall work as per directions of the Commission.

(3) The Secretary shall be responsible for having the agenda prepared for the meetings of the Commission and for circulating the minutes of meetings.

(4) The Secretary shall cause the accounts of the Commission to be maintained and shall discharge the other duties imposed on him by or under this Act.

(5) The Secretary shall assist the Commission in finalizing its reports.

(6) The Secretary may, in his discretion, delegate any of his functions or authority to any other officer of the Commission.

(7) The Secretary shall be entitled to such salary and allowances as may be prescribed.

7. Staff of the Commission.- (1) The Government shall provide such staff and facilities to the Commission as may be determined by the Government for the effective functioning of the Commission.

(2) The administrative expenses of the Commission, including the salaries, allowances, pensions and other amounts payable to the Secretary, officers and staff of the Commission shall be paid, as prescribed, out of the grants referred to in sub-section (2) of section 20 of this Act.

8. Procedure to be regulated by the Commission.- The Commission shall regulate its own procedure.

9. Headquarters of the Commission.– The Commission shall have its headquarters at Delhi but may meet as and when necessary at such place or places in Delhi and at such time as the Chairperson may deem fit.

10. Authentication of orders and decisions of the Commission.- All orders and decisions of the Commission shall be authenticated by the Secretary, or any other officer of the Commission duly authorized by the Chairperson in this behalf.

11. Vacancies, etc. not to invalidate proceedings of the Commission.- No act, decision or proceeding of the Commission shall be called in question or held invalid on the ground merely of the existence of any vacancy or defect in the constitution of the Commission.

DVS

CHAPTER III

FUNCTIONS AND POWERS OF THE COMMISSION

12. Functions and powers of the Commission.- (1) The Commission shall perform all or any of the following functions, namely :-

(a) to investigate, examine and monitor all matters relating to –

(i) the safeguards provided to Safai Karamcharis, residing in Delhi, under the Constitution of India, or under any law for the time being in force or under any judicial decisions or any orders or instructions issued by the Government of India or the Government, and to evaluate the working of such safeguards;

(ii) denial or violation of any right of Safai Karamcharis;

(iii) any other matter pertaining to the welfare and protection of Safai Karamcharis;

(b) to look into the specific complaints with respect to the deprivation of the rights and safeguards of Safai Karamcharis;

(c) to monitor and evaluate the implementation of the policies and schemes of the Government for the welfare of Safai Karamcharis and to advise the Government on the planning process of socio-economic development of Safai Karamcharis;

(d) to conduct studies and research in order to make recommendations to promote the socio-economic upliftment of Safai Karamcharis;

(e) to hold seminars, debates and discussions on problems affecting Safai Karamcharis to create public awareness;

(f) to assess the representation of Safai Karamcharis in the services of the Government, semi-government bodies, local bodies and government undertakings and in case of inadequate representation, to recommend remedial measures;

(g) to deal with any other matter pertaining to the welfare of Safai Karamcharis which may be referred to it by the Government.

(2) The exercise of powers and functions by the Commission shall not be in contradiction or in violation of the powers and functions or directions of the National Commission.

13. Annual report of the Commission.- (1) The Commission shall prepare every year an annual report giving a true and full account of its activities during the year, alongwith its recommendations and shall forward it to the Government.

(2) The Government shall, without delay, cause the annual report to be laid before the House of the Legislative Assembly of Delhi along with a report setting out the action taken or proposed to be taken on the recommendations and the reasons for non-acceptance, if any, of such recommendations.

14. Special report by the Commission.- The Commission may submit to the Government a special report on any matter of public importance pertaining to the interests of Safai Karamcharis.

15. Commission's right to be heard.- In case of non-acceptance of any of its recommendations, the Commission shall have the right to be heard by the Minister-in-charge.

16. Government to consult Commission.- The Government may consult the Commission on all major policy matters affecting Safai Karamcharis.

17. Powers of Civil Court.- The Commission shall have in carrying out its functions, the powers of a civil court trying a suit and, in particular, in respect of the following matters, namely :-

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of any document;

(c) receiving evidence on affidavits;

(d) requisitioning any public record or copy thereof, from any office or institution of the Government;

(e) issuing commissions for the examination of witnesses and documents.

18. Power to utilize services of investigation agencies of Government.- The Commission may, for the purposes of conducting any investigation under this Act, utilize the services of any investigating agency of the Government with the prior approval of the Government.

19. Protection of statement made before the Commission.- No statement made by a person to the Commission in the course of giving evidence shall be used against him in any court proceeding except for perjury.

CHAPTER IV

DVS

FINANCE, ACCOUNTS AND AUDIT

20. Budget and grants by the Government.- (1) The Commission shall prepare every year budget estimates for the financial year as per prescribed norms and shall forward to the Government.

(2) The Government shall, after due appropriation made by the Legislative Assembly of Delhi in this behalf, make provision for such sums of money as are adequate for carrying out the purposes of this Act.

(3) Commission may spend such sums, out of the budget provisions, as it deems fit for performing its functions under this Act or incidental thereto.

21. Annual Statement of Accounts.- (1) The Commission shall maintain proper accounts and other relevant records and also prepare an annual statement of accounts as may be prescribed by the Government.

(2) The Accounts of the Commission shall be audited at such intervals as may be specified by the Government.

(3) Any person appointed by the Government in connection with the audit of the accounts of the Commission shall have the same rights and the authority as the Comptroller and Auditor General of India generally has in connection with audit of Government accounts and, in particular, shall have right to demand the production of book, account, connected vouchers and other documents and papers, as he may consider necessary, and to inspect any of the offices of the Commission.

CHAPTER V

MISCELLANEOUS

22. Chairperson, members and officers of Commission to be public servants.- The Chairperson, members and officers authorized by the Commission to perform functions under this Act shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860).

23. Protection of action taken in good faith.- No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Chairperson, members or officers performing functions under this Act under the authority of the Commission, for anything which is done in good faith or done or intended to be done under this Act.

24. Establishment of library and cells.- The Government may establish a library, an information cell, a research cell and such other cells as may be recommended by the Commission.

25. Power to make rules.- (1) The Government may, by notification in the official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely :-

(a) salary and allowances payable to the secretary to the Commission;

(b) prescribing of the administrative expenses of the Commission including the salaries, allowances, pension and other amounts payable to the Secretary, officers and staff of the Commission;

(c) making of rules in accordance with which an account of income and expenditure of the Commission shall be kept;

(d) prescribing the form in which the Commission shall prepare the annual statement of accounts;

(e) prescribing the manner of publication of the annual statement of accounts of the Commission together with a copy of the audit report by the Government;

(f) any other matter which is required to be or may be prescribed.

(3) Every rules made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi, while it is in session for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions; and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, the Assembly agrees in making any modification in the rule or the Assembly agrees that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

26. Power to remove difficulties.- (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order published in the official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty :

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be, after it is made, be laid before the Legislative Assembly of Delhi."

(RAKESH SYAL)
JOINT SECRETARY (LAW, JUSTICE & L.A.)

(दिल्ली राजपत्र भाग–4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग
8वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली

सं. फा. 1(1)एल.ए.–2003/LJ/06/7697 दिनांक 6 दिसम्बर, 2006

अधिसूचना

सं. फा. 1(1)एल.ए.–2003 – राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप–राज्यपाल की दिनांक 25, नवम्बर, 2006 को मिली अनुमति के पश्चात् दिल्ली विधान सभा द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम जनसाधारण की सूचनार्थ इसके द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है ।

" दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 2006
(2006 का दिल्ली अधिनियम 7)

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा दिनांक 8 नवम्बर, 2006 को यथा पारित)

[25 नवम्बर, 2006]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में रहने वाले सफाई कर्मचारियों के अधिकारों और हितों की रक्षा करने और उनकी शिकायतों का निपटारा करने तथा तत्संबंधी या आनुषंगिक मामलों के लिए दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना और कार्य प्रणाली के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य में सत्तावनवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाए :–

अध्याय – I

प्रारंभिक

1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.–(1) इस अधिनियम को दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 2006 कहा जाएगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत होगा जो सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें ।

2. परिभाषाएं : इस विधेयक में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "अध्यक्ष" से अभिप्राय इस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत नियुक्त दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष से हैं;

(ख) "आयोग" से अभिप्रेत इस अधिनियम की धारा–3 के अंतर्गत गठित दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग से है;

(ग) "दिल्ली" का अर्थ है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ;

(घ) "सरकार" से अभिप्रेत संविधान के अनुच्छेद 239 अअ के अंतर्गत उप–राज्यपाल के रूप में निर्दिष्ट और अनुच्छेद 239 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल से है ;

(ड) "उपराज्यपाल" से अभिप्राय संविधान के अनुच्छेद 239 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल से है ;

(च) "सदस्य" से अभिप्रेत है आयेाग का सदस्य ;

(छ) "विहित" से अभिप्रेत इस अधिनियम के अंतर्गत नियमों द्वारा विहित से है:

(ज) "सफाई कर्मचारी" से अभिप्रेत उस व्यक्ति से है जो अपने श्रम से मनुष्य का मल–मूत्र उठाने अथवा अन्य सफाई कार्यों में संलग्न है, या उसके लिए नियुक्त किया गया है ;

(झ) "राष्ट्रीय आयोग" से अभिप्रेत राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम–1993 (1993 का 64) के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग से है ।

अध्याय – II

3. यह आयोग का संविधान.–(1) इस के लागू होने के तत्काल बाद सरकार दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग नाम के निकाय का गठन करेगी जो इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करेगा और सौंपे गए कार्यों को पूरा करेगा।

(2) आयोग का एक अध्यक्ष होगा और दो अंशकालिक सदस्य होंगे जिनकी नियुक्ति सरकार द्वारा प्रतिष्ठित, योग्य, निष्ठावान और दिल्ली के सफाई कर्मचारियों के बारे में जानकर और उनसे संबद्ध व्यक्तियों में से की जाएगी।

4. अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल और सेवा शर्तें–(1) अध्यक्ष का कार्यकाल पाँच वर्ष अथवा 65 तक की आयु (जो भी कम हो) तथा सदस्यों का कार्यकाल पाँच वर्ष अथवा 62 वर्ष तक की आयु (जो भी कम हो) का होगा जो उनके कार्यभार संभालने की तिथि से माना जाएगा।

(2) अध्यक्ष अथवा सदस्य किसी भी समय अध्यक्ष या सदस्य के पद से यथास्थिति, सरकार को अपने हाथ से लिखकर इस्तीफा दे सकता है ।

(3) सरकार निम्नांकित स्थितियों में अध्यक्ष या सदस्य को पद से हटा सकती है ;

(क) अनुन्मोचित दिवालिया होने पर ।

(ख) ऐसे अपराधों के लिए दोषी सिद्ध होने और कारागार की सजा होने, जो सरकार की राय में नैतिक अधमता हो ;

(ग) दिमागी हालत ठीक न रहने और सक्षम न्यायालय द्वारा तत्संबंधी घोषणा किए जाने ;

(घ) काम करने से इंकार करने अथवा कार्य करने में अक्षम होने ;

(ड.) आयोग से अनुमति प्राप्त किए बिना आयोग की तीन बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहने पर ; अथवा

(च) सरकार की राय में अध्यक्ष या सदस्य के पद का दुरूपयोग करने, सफाई कर्मचारियों के हित या जनहित में पद पर बना रहना हानिकारक होने ;

परन्तु इस धारा के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को पद से तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक कि संबंधित मामलें में उसे सुनवाई का अवसर न दिया गया हो ।

(4) आयोग के निवर्तमान अध्यक्ष या सदस्य, यथास्थिति, के खाली होने वाले पद सरकार द्वारा उनके कार्यकाल की शेष अवधि के लिए यथाशीघ्र भरे जायेंगे।

5 अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते आदि.– अध्यक्ष उन्हीं प्रास्थिति, वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं पाने के हकदार होंगे जो कि नियमानुसार सरकार द्वारा निर्धारित किये जाएं । अंशकालिक सदस्य केवल बैठक अवधि की फीस लेने के पात्र होंगे, अन्य सुविधाओं के नहीं ।

6. आयोग का सचिव.– (1) आयोग के सचिव की नियुक्ति सरकार द्वारा अध्यक्ष से सलाह करके की जाएगी और उसका दर्जा सरकार के किसी सचिव से कम नहीं होगा।

(2) सचिव आयोग के विभाग का मुखिया होगा और वह रोजमर्रा के प्रशासनिक कार्य की देखभाल करेगा तथा आयोग के आदेशानुसार काम करेगा।

(3) सचिव आयोग की बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करने और बैठकों के ब्यौरे की जानकारी प्रकाशित करने के प्रति उत्तरदायी होगा।

(4) सचिव आयोग का लेखा जोखा रखेगा और इस अधिनियम के अंतर्गत उसे सौंपे गए अन्य दायित्वों का निवर्हन करेगा।

(5) सचिव आयोग की रिपोर्टों को अंतिम रूप देने में उसकी मदद करेगा।

(6) सचिव अपने विवेकाधिकार से आयोग के किसी अन्य अधिकारी को अपना कोई कार्य या अधिकार प्रत्यायोजित कर सकता है।

(7) सचिव विहित वेतन और भत्ते पाने का अधिकारी होगा।

7. आयोग के कर्मचारी .– (1) सरकार आयोग को उसकी कारगर कार्य प्रणाली के लिए उपयुक्त कर्मचारी और उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध करायेगी।

(2) आयोग के सचिव, अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य भुगतान इस अधिनियम की धारा 20 की उप धारा (2) में वर्णित अनुदानों में से किया जाएगा।

8. आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रकिया.– आयोग अपनी कार्यप्रणाली स्वयं तय करेगा।

9. आयोग का मुख्यालय.–दिल्ली में होगा परंतु वह दिल्ली में और अध्यक्ष द्वारा उपयुक्त स्थान एवं समय पर अपनी बैठकें कर सकेगा।

10. आयोग के आदेशों और निर्णयों का अधिप्रमाणन.– आयोग के सभी आदेशों और निर्णयों को सचिव या अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा।

11. खाली पदों आदि से आयोग की कार्यवाही का अवैध न होना.– आयोग में कोई पद खाली होने या उसके संविधान में कोई त्रुटि होने के आधार पर आयोग के किसी कार्य, निर्णय या कार्रवाई को विवादित या अवैध करार नहीं दिया जा सकेगा।

अध्याय – III

आयोग के अधिकार और कर्तव्य

12. आयोग के कर्तव्य.– (1) आयोग निम्नांकित में से सभी या कोई भी कार्य करेगा ;

(क) निम्नांकित से संबद्ध सभी मामलों की जांच, परिक्षण और निगरानी करना ;–

(i) दिल्ली में रहने वाले सफाई कर्मचारियों को भारतीय संविधान या किसी अन्य प्रचलित कानून या किसी न्यायिक निर्णय अथवा भारत सरकार या सरकार द्वारा जारी किसी आदेश/अनुदेश के अंतर्गत प्रदत्त संरक्षण और ऐसे संरक्षण की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन;

(ii) सफाई कर्मचारियों के किसी अधिकार का हनन या उल्लंघन ;

(iii) सफाई कर्मचारियों के कल्याण और हितों से संबंधित कोई अन्य मामला;

(ख) सफाई कर्मचारियों को उनके अधिकारों और संरक्षण से वंचित किए जाने संबंधी विशेष शिकायतों की जांच करना;

(ग) सफाई कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखना और उसका मूल्यांकन करना तथा सफाई कर्मचारियों के सामाजिक – आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया के बारें में सरकार को परामर्श देना;

(घ) सफाई कर्मचारियों के सामाजिक – आर्थिक उत्थान को बढ़ावा देने के बारें में सिफारिशें करने के लिए अध्ययन एवं अनुसंधान संचालित करना;

(ङ) जन जागरूकता पैदा करने के लिए सफाई कर्मचारियों पर असर डालने वाली समस्याओं के बारे में सेमीनार, वाद–विवाद और परिचर्चाओं का आयोजन करना;

(च) सरकारी, अर्ध सरकारी निकायों, स्थानीय निकायों और सरकारी प्रतिष्ठानों की सेवाओं में सफाई कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व का मूल्यांकन करना और प्रतिनिधित्व पर्याप्त न होने पर सुधार के उपाय सुझाना;

(छ) सफाई कर्मचारियों से संबद्ध किसी अन्य मामले का निपटारा करना जो सरकार द्वारा उसे सौंपा गया हो।

(2) दिल्ली आयोग को प्रदत्त अधिकार व कर्तव्य राष्ट्रीय आयोग के पदत्त अधिकारों व कर्तव्यों अथवा निर्देशों क अतिक्रमण नहीं करेंगें।

13 आयोग की वार्षिक रिपोर्ट.– (1) आयोग हर वर्ष अपनी गतिविधियों का सही और पूर्ण ब्योरा देने के लिए वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और अपनी सिफारिशों के साथ उसे सरकार के पास भेजेगा। (2) सरकार, अविलम्ब वार्षिक रिपोर्ट और उसमे की गयी सिफारिशों के बारे में कार्रवाई रिपोर्ट या प्रस्तावित कार्रवाई रिपोट तथा ऐसी सिफारिशों को अस्वीकार किए जाने के कारणों, यदि कोई हों, को दिल्ली विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

14. आयोग द्वारा विशेष रिपोर्ट.– आयोग सफाई कर्मचारियों के हितों से संबंद्ध जनहित के किसी मामले में सरकार को विशेष रिपोर्ट दे सकता है।

15. आयोग द्वारा पक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार.– आयोग की सिफारिशें नामंजूर किए जाने की स्थिति में उसे प्रभारी मंत्री के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार होगा।

16. सरकार द्वारा आयोग से परामर्श लिया जाना. – सरकार सफाई कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों में आयोग से सलाह करेगी।

17. सिविल अदालत के अधिकार. – आयोग को अपने दायित्वों का निवर्हन करते समय किसी मामलें की सुनवाई करने वाली सिविल अदालत के अधिकार, विशेषकर निम्नांकित अधिकार प्राप्त होंगे ;–

(क) किसी व्यक्ति को समन भेजना, उपस्थित होने के लिए बाध्य करना और उससे शपथ पत्र मांगना;

(ख) किसी दस्तावेज की खोज और उसे प्रस्तुत करने के लिए कहना;

(ग) शपथ पत्र पर गवाही लेना;

(घ) सरकार के किसी कार्यालय या संस्थान से किसी सार्वजनिक रिकार्ड या उसकी प्रति की मांग करना;

(ङ) गवाहों और दस्तावेज की परीक्षा के लिए कमीशन बनाना।

18 सरकार की जांच एजेंसियों की सेवाओं का इस्तेमाल करने का अधिकार.– आयोग इस विधेयक के अंतर्गत किसी जांच के उद्देश्य से सरकार की पूर्व अनुमति लेकर उसकी किसी भी जांच एजेंसी की सेवाओं का इस्तेमाल कर सकेगा।

19. आयोग के समक्ष दिए गए बयान की संरक्षा.– आयोग के समक्ष गवाही देते समय किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए बयान का इस्तेमाल शपथ भंग को छोड़कर किसी अन्य अदालत में उसके खिलाफ नहीं किया जा सकेगा।

अध्याय – IV

वित्त लेखा और लेखा–परीक्षा

20. बजट और सरकार द्वारा अनुदान.– (1) आयोग हर वर्ष बजट अनुमान तैयार करेगा और उसे सरकार के पास भेजेगा, जिसमें वित्त वर्ष के लिए उसकी आय और व्यय का लेखा–जोखा होगा।

(2) सरकार दिल्ली विधानसभा द्वारा समुचित विनियोजन के बाद आयोग को अनुदान के जरिए समुचित धनराशि प्रदान करेगी, ताकि वह इस अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त कर सके।

(3) आयोग इस अधिनियम के अंतर्गत अपने कर्तव्यों का पालन करने या आनुषंगिक कार्यों के लिए प्राप्त अनुदान का इस्तेमाल कर सकता है।

21. लेखा और लेखा परीक्षा.– (1) आयोग उचित लेखा–जोखा रखेगा तथा सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में वार्षिक आय – व्यय का ब्योरा तैयार करेगा।

(2) आयोग के खातों की लेखा – परीक्षा अंतरालों पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी ।

(3) जो भी व्यक्ति, सरकार द्वारा आयोग के खातों की लेखा – परीक्षा के लिए नियुक्त किया जाएगा, उसे वही अधिकार व प्राधिकार प्रदान किए जाएगें, जो कि भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक को सामान्यतः सरकार के लेखा परीक्षा हेतु प्रदत्त होते है तथा उसे विशेष रूप से आयोग की बहियों–खातों संबंधित वाऊचरों, दस्तावेजों तथा कागजात जो भी आवश्यक हो को देखने तथा आयोग के किसी भी कार्यालय की जांच करने का अधिकार होगा ।

अध्याय – V
विविध

22. आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और अधिकारी लोकसेवक होंगे.– इस अधिनियम के अंतर्गत दायित्वों का निर्वाह करने के लिए प्राधिकृत अध्यक्ष, सदस्य और अधिकारी भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 21 के अनुरूप लोकसेवक समझे जायेंगे।

23. सदभाव पूर्व किए गए कार्य की संरक्षा.– इस अधिनियम के अंतर्गत आयोग द्वारा प्राधिकृत कार्यों का निवर्हण करते समय अध्यक्ष, सदस्य या अधिकारियो द्वारा सदभाव पूर्वक किए गए किसी कार्य अथवा इस अधिनियम या आयोग के अधिकार का अनुपालन करने की इच्छा से किए गए किसी कार्य के खिलाफ कोई सिविल अपराधिक या अन्य कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकेगी।

24. पुस्तकालय और सेल की स्थापना.– सरकार एक पुस्तकालय, सूचना सेल, अनुसंधान सेल और आयोग की सिफारिश के अनुसार अन्य प्रकार के सेल गठित कर सकती है।

25. नियम बनाने का अधिकार.– (1) सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों पर अमल करने के लिए शासकीय राजपत्र में अधिसूचित करके नियम बना सकती है।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और विशेषकर ऐसे निम्नांकित मामलों में से सभी अथवा किसी एक के बारे में बनाए जा सकते हैं ;–

(क) आयोग के सचिव को देय वेतन और भत्ते ;

(ख) आयोग के सचिव, अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य भुगतानों सहित आयोग के प्रशासनिक खर्च का निर्धारण ;

(ग) ऐसे नियमों का निर्धारण जिनके अनुसार आयोग की आय और व्यय का लेखा–जोखा रखा जा सके ;

(घ) आयोग द्वारा वार्षिक लेखा – जोखा रखे जाने के तौर तरीके निर्धारित करना ;

(ङ) आयोग के आय–व्यय का वार्षिक विवरण प्रकाशित करने और लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ उसकी प्रति सरकार को भेजने का ढंग निर्धारित कराना ;

(च) कोई अन्य मामला जो अपेक्षित हो, अथवा विहित किया गया हो ;

(3) इस अधिनियम के अंतर्गत निर्मित प्रत्येक नियम बनने के तत्काल बाद दिल्ली विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा, जबकि कुल 30 दिन के लिए सदन की बैठक हो रही हो, यह अवधि एक सत्र में भी हो सकती है और लगातार दो या अधिक सत्रों को मिलाकर भी पूरी की जा सकती है, और अगर तत्कालिक अधिवेशन की समाप्ति से पहले या उपरोक्त परवर्ती अधिवेशनों में सदन नियम में कोई संशोधन करने पर

सहमति व्यक्त करता है अथवा इस बात पर सहमत होता है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो यथास्थिति, नियम संशोधित रूप में प्रभावी होगा अथवा नियम का प्रभाव तत्काल समाप्त हो जाएगा, परंतु ऐसे संशोधन या रद्द किए जाने का प्रतिकूल असर उस नियम के तहत किए गए किसी पिछले कार्य की वैधता पर नहीं पड़ेगा।

26. कठिनाइयां दूर करने का अधिकार.– (1) इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में कठिनाइयां आने पर सरकार शासकीय राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके ऐसे प्रावधान कर सकती है, जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हों और कठिनाई दूर करने के लिए अनिवार्य समीचीन हों; परंतु, ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात नहीं बनाया जा सकेगा।

(2) इस धारा के अंतर्गत बनाए गए प्रत्येक कानून को, इसके बनाए जाने के बाद यथाशीघ्र, दिल्ली की विधानसभा में पेश किया जाएगा।"

(राकेश स्याल)
संयुक्त सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी विभाग)